राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–04–2016 के कार्यवृत्त की विषय सूची

क्र0सं0	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2015 में पारित आदेशों का अनुमोदन।	1
2	2	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–	1–3
3	3	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–87 (4) में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2002 के मद संख्या–19 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार परमिट हस्तान्तरण के मामले में मोटर कैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 25–02–2015 से 31–03–2016 तक हस्तान्तरित किये गये उक्त प्रकार के परमिटों में पारित आदेशों का अनुमोदन।	3–4
4	4	(1) देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण का अनुमोदन। (2) देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के हस्तान्तरण का अनुमोदन।	4–5
5	5	मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी परमिट के 05 प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।	5–6
6	6	श्री गंगा सिंह रांगड़ पुत्र श्री शिव सिंह रांगड़, निवासी 202, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश के परमिट संख्या–272/एसटीए/बस/एआई/09 के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 01–02–2016 पर विचार व आदेश	6–8
7	7	मोटरसाईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार।	8–13
8	8	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–354/प्रवर्तन/86 दिनांक 29–01–2015 एवं पत्र संख्या–862/प्रवर्तन/धारा 86/2015 दिनांक 24–03–2015 पर परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन	13–14
9	9	उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्जीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।	15–17
10	10	राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार व आदेश पारित करना	17–25
11	11	अन्य मद, अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण की आज्ञा से।	25

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–04–2016 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2015 में पारित आदेशों के सापेक्ष किये गये कार्यों का अनुमोदन।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये निम्नलिखित परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदन

(अ)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87, 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिटः–

क्र0 सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट (सहारनपुर–बड़कोट मार्ग पर)	**134**
2	अन्तर्राज्यीय मार्गों (हरियाणा/चण्डीगढ परिवहन निगम की बसों) के लिए प्रभावी कराधान के अन्तर्गत अधिकतम चार माह की अवधि के लिए जारी किये गये सवारी गाड़ी परमिटों के अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर	**337**
3	उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अन्तर्राज्जीय मार्गों पर जारी अस्थाई परमिट	**10**

(ब)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गये समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों एवं सवारी गाड़ी परमिटों के स्थायी परमिट एवं नवीनीकृत किये गये परमिट :–

क्र0 सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब स्थाई परमिट।	**1922**
2	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के स्थाई परमिट।	**83**
3	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब एवं ठेका बस के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**5597**
4	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब, मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**839**
5	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**50**
6	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब के स्थाई परमिट।	**1090**
7	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के स्थाई परमिट।	**1603**
8	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के स्थाई परमिट।	**129**
9	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**07**
10	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब परमिटों के नवीनीकरण।	**240**
11	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस परमिटों के नवीनीकरण।	**06**
12	रामनगर–श्रीबद्रीनाथ मार्ग के सवारी गाड़ी परमिटो के नवीनीकरण।	**04**
13	निजी सेवायान परमिट	**04**
14	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्टेज कैरिज परमिटों के नवीनीकरण	**33**

(स)– मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88 (6) में दिये गये प्राविधानानुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पारस्परिक परिवहन करार में बनी सहमति के अनुसार जारी किये गये स्थायी सवारी/जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

क्र0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	समस्त उत्तर प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	क्रमांक **17385** से **18800** तक
2	पंजाब राज्य के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**04**
3	पंजाब राज्य के स्टैज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**03**
4	हिमाचल प्रदेश के जनभार वाहनों के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**04**

5	हिमाचल प्रदेश के स्टैज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**06**
6	राजस्थान राज्य के स्टेज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**11**
7	मध्य प्रदेश राज्य के स्टेज कैरिज के स्थाई प्रतिहस्ताक्षर परमिट	**02**

(द)– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक की अवधि में समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर/मैक्सी कैब/ठेका बस परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त **2190** एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त 42 प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–03

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–87 (4) (जो कि तत्समय उत्तराखण्ड राज्य में लागू थी) में दिये गये प्राविधानानुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–11–2002 के मद संख्या–19 में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) व (2) में दिये गये प्राविधानानुसार मोटरकैब, मैक्सी कैब वाहनों के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा **समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिट संख्या–**256, 355, 364, 388, 395, 415, 426, 427, 432, 434, 455, **स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या**–10004, 10029, 10054, 10087, 10111, 10137, 10138, 10191, 10219, 10304, 10307, 10322, 10325, 10341, 10423, 10565, 10570, 10576, 10591, 10650, 10655, 10683, 10694, 10803, 10879, 10913, 10964, 10969, 10997, 11043, 11151, 11169, 11178, 11186, 11238, 11289, 11297, 11313, 11315, 11316, 11370, 11503, 11557, 11583, 11591, 11607, 11675, 11715, 11731, 11735, 11744, 11799, 11823, 11830, 11835, 11843, 11863, 11926, 11943, 11959, 11986, 12121, 12122, 12174, 12223, 12304, 12470, 12482, 12506, 12593, 12614, 12615, 12661, 12683, 12725, 12735, 12740, 12789, 12847, 12947, 12979, 13022, 13032, 13068, 13095, 13168, 13266, 13271, 13276, 13297, 13315, 13334, 13395, 13409, 13439, 13476, 13477,

13491, 13503, 13591, 13599, 13656, 13685, 13737, 13771, 13794, 13805, 13828, 13852, 13885, 13920, 13967, 13992, 14022, 14218, 14283, 14369, 14433, 14472, 14501, 14519, 14581, 14598, 14665, 14806, 14842, 14936, 15080, 15143, 15186, 15262, 15434, 15523, 15544, 15679, 15712, 15787, 15956, 16073, 16258, 16674, 16746, 16977, 17710, 4648, 4774, 5139, 5415, 5834, 5881, 6270, 6509, 6516, 6566, 6608, 6618, 6684, 6945, 7111, 7152, 7519, 7545, 7676, 7707, 7811, 7842, 7891, 7925, 8007, 8029, 8033, 8053, 8124, 8237, 8304, 8333, 8341, 8354, 8367, 8494, 8499, 8555, 8612, 8654, 8684, 8834, 8987, 8995, 9108, 9109, 9150, 9159, 9184, 9210, 9419, 9441, 9449, 9460, 9472, 9573, 9574, 9586, 9612, 9726, 9735, 9756, 9763, 9790, 9791, 9807, 9814, 9891, 9894, 9907, 9935, 9957, 9967, 9991, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–10153, 10249, 10275, 10669, 11105, 11517, 11534, 11684, 11767, 12014, 12396, 12680, 12946, 12996, 13284, 13314, 13319, 13347, 13744, 13772, 14043, 14181, 14278, 14287, 14327, 14342, 14440, 14504, 14571, 14769, 14916, 15004, 15057, 15825, 15941, 16063, 16684, 17917, 6478, 6696, 7893, 7930, 7934, 7996, 8426, 8658, 9040, **समस्त उत्तराखण्ड के स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या**–2083, 2428, 2659, 2665, 2711, 2990, 3011, 4466, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–11133, 11921, 12661, 3080, 4572, 4708, 5263, 5456, 7023, 7608, 7675, 7832, 8118, 8984, 9107, 9388, 9610, 9872 एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82(2) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिट संख्या**–460, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–12847, **टैक्सी कैब परमिट संख्या**–14649, 14845, 16550, 7664, 7891, **समस्त उत्तराखण्ड के टैक्सी कैब परमिट संख्या**–1823, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–8753 परमिटों के हस्तान्तरण के मामलों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–04

(1) देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक परमिट संख्या–71, 72, 75, 83, 87, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141 के नवीनीकरण किये गये हैं, जिनका अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।

(2) देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक परमिट संख्या–73, 76, 77, 87, 93, 96, 98, 103, 104, 108, 112, 113, 123, 230 के हस्तान्तरण किये गये हैं, जिनका अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है।

मद संख्या–05

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–70, 71 व 72 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए प्राप्त स्थाई सवारी गाड़ी परमिट के प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश

उल्लेखनीय है कि सवारी गाड़ी/ठेका गाड़ी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–80 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा–66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) साधारणतः इस अधिनियम के अधीन किसी भी समय किसी भी प्रकार के परमिट के लिए किए गए आवेदन को मंजूर करने से इन्कार नहीं करेगाः

परन्तु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कोई आवेदन संक्षिप्ततः नामंजूर कर सकेगा यदि आवेदन के अनुसार किसी परमिट के देने से यह प्रभाव पड़ेगा कि धारा–71 की उपधारा–3 के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट मंजिली गाड़ियों की संख्या में या धारा–74 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट ठेका–गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगीः

परन्तु यह और कि जहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (राज्य परिवहन प्राधिकरण या धारा 66 की उपधारा (1) में विहित अन्य प्राधिकारी) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार के परमिट देने सम्बन्धी आवेदन को नामंजूर कर देता है, वहां वह आवेदक को उसके नामंजूर किए जाने के अपने कारण लिखित रूप में देगा और इस विषय में उसे सुनवाई का अवसर देगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–71 की उपधारा–3 (क) में पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों के लिए निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''राज्य सरकार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह पांच लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारण मंजिली–यान या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली–गाड़ी की संख्या को, जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग अन्तर्सम्भागीय मार्ग है। इस मार्ग के शाखा मार्गों को सम्मिलित करते हुए मार्ग की कुल लम्बाई 514 कि0मी0 है। इस मार्ग का 196 कि0मी0 पौड़ी सम्भाग में तथा 318 कि0मी0 कुमाऊं सम्भाग में पड़ता है। रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथि/कोर्ट फीस नं0	टिप्पणी
1	श्री मोहित पाण्डे पुत्र श्री महेश चन्द्र निवासी 19, वार्ड नं0–3, वाटर कम्पाउण्ड, रामनगर	20–02–2016/2535	समय सारणी संलग्न नहीं है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–06

श्री गंगा सिंह रांगड़ पुत्र श्री शिव सिंह रांगड़, निवासी 202 आदर्श ग्राम, ऋषिकेश के परमिट संख्या–272/एसटीए/बस/एआई/09 के नवीनीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 01–02–2016 पर विचार व आदेश

परमिटधारक द्वारा परमिट संख्या–272/एसटीए/बस/एआई/09 के नवीनीकरण हेतु दिनांक 01–02–2016 को प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनके नाम पर टैम्पो ट्रैवलर, जिसका नं0–यूके07पीसी–0115 है, परमिट एवं अधिकार पत्र मई, 2014 तक वैध था। विगत 02 वर्ष पूर्व केदारनाथ आपदा के समय प्रार्थी रामबाड़ा में था एवं आपदा से प्रार्थी को काफी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक नुकसान हुआ, जिस कारण प्रार्थी अपने किसी भी आवश्यक कार्य पर ध्यान नहीं रख सका। प्रार्थी की स्थिति में सुधार हुआ तो प्रार्थी ने देखा कि वाहन के कागजात गुम हो चुके हैं एवं कागजात की वैधता भी समाप्त हो गई है। अतः इनके द्वारा प्रार्थी की विपरीत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परमिट नवीनीकरण/पेन्डिंग रिन्यूवल जारी करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री गंगा सिंह रांगड़ पुत्र श्री शिव सिंह रांगड़, निवासी 202/226, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला देहरादून को समस्त भारतवर्ष का ठेका बस परमिट संख्या–272/एसटीए/बस/एआई/2009 दिनांक 23–05–2009 से दिनांक 22–05–2014 तक जारी किया गया, जिस पर वाहन संख्या–यूके07पीसी–0115, मॉडल–2009 संचालित है।

परमिट नवीनीकरण हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–81 की उपधारा–2 में निम्न प्राविधान हैः–

(2) A permit may be renewed on an application made not less than fifteen days before the date of its expiry.

परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 20–08–2013 के मद/संकल्प संख्या–04 में निम्न व्यवस्था हैः–

क्र0सं0	अवधि	शुल्क (रूपये में)
1	01 माह तक	छूट
2	01 माह के पश्चात् 03 माह तक	रू0 1000/–
3	03 माह से 06 माह तक	रू0 2500/–
4	06 माह से 01 वर्ष तक	रू0 5000/–
5	**01 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण हेतु राज्य परिवहन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।**	

परमिटधारक द्वारा परमिट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 01–02–2016 को दिया गया है, जो कि कोर्ट फीस क्रमांक–1411 दिनांक 01–02–2016 पर अंकित है। आवेदक द्वारा नवीनीकरण हेतु परमिट समाप्ति के लगभग 01 वर्ष 09 माह विलम्ब से आवेदन किया गया है। आवेदक के अनुरोध पर परमिट के नवीनीकरण के आवेदन पत्र को लम्बित रखते हुए अस्थाई परमिट (Pending Renewal) जारी किया गया है।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–07

मोटरसाईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार

(1) श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ए0के0 गुप्ता, निवासी निवासी–ए–2, उग्रसेन नगर, ऋषिकेश द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ 05 दुपहिया वाहनों (एक्टिवा) के इन्वाइस बिल, चरित्र प्रमाण पत्र एवं 1000 रू0 रसीद संलग्न की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–717/एसटीए/दस–75/2015 दिनांक 28–02–2015 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–936/सा0प्रशा0/मो0सा0कि0यो0/15 दिनांक 12–05–2015 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक का नैतिक चरित्र के क्रम में उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है। यात्री परिवहन व्यापार के ज्ञान के क्रम में आवेदक द्वारा स्वयं का लाईसेन्स प्रस्तुत किया है।

2– आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान के क्रम में आवेदक द्वारा निरीक्षण के दौरान फर्म के वर्कशॉप हेतु स्थान, कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था हेतु वर्कशॉप का निर्माण किया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा अपनी पंजीकृत वाहनों की यांत्रिक दशा के रख–रखाव हेतु मैसर्स ऑटो गैलरी, देहरादून रोड़, ऋषिकेश का अनुबंध पत्र भी संलग्न किया है। **अनुबंध पत्र व वर्कशॉप की फोटो संलग्न की है।**

3– आवेदक के पास टेलीफोन सं0 0135–2439910 लगा है, **बिल की छाया प्रति संलग्न की है।**

4– वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 व 2014–15 का **आईटीआर (फॉर्म–16) तथा एस0बी0आई0 बैंक, स्वर्गाश्राम, ऋषिकेश की पासबुक की छाया प्रति की** छाया प्रति संलग्न की है।

5– आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के क्रम में आवेदक द्वारा केवल 05 होण्डा एक्टिवा **(Honda Activa) दिनांक 07–05–2015 को व्यावसायिक प्रयोग हेतु कार्यालय में पंजीकृत करा दिये गये** है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मोटर साईकिल किराया (स्कीम) योजना, 1997 को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31–10–2011 के मद संख्या–1 के क्रमांक 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश किये गये हैः–

प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित को सुनने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को किराये पर देने के लिए बनायी गयी किराया योजना (स्कीम), 1997 में दी गयी शर्तों एवं श्री गुरविन्दर सिंह सेठी तथा अन्य के तर्कों पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो नियमावली में दी गयी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा अमित गुप्ता पुत्र श्री ए0के0 गुप्ता, निवासी निवासी–ए–2, उग्रसेन नगर, ऋषिकेश को मोटरसाईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत लाईसेन्स निर्गत करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

(2) श्री निशान्त यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव, निवासी सी–2, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, 60 टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, देहराखास, देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ टेलीफोन का बिल, चरित्र प्रमाण पत्र एवं 1000 रू0 रसीद संलग्न की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या–4070/एसटीए/दस–75/2015 दिनांक 03–12–2015 के माध्यम से सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–214/सा0प्रशा0/विविध/2016 दिनांक 13–01–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक द्वारा उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक का चरित्र अच्छा है तथा अभिलेखानुसार सजायफता दर्ज नहीं है।

2– **यानों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष** के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि जिस कार्यालय परिसर का प्रयोग किया जायेगा वह अभी निर्माणाधीन है और उक्त योजना के अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलीफोन हो जो दिन रात उपलब्ध हो,** इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त योजना को 24 घंटे की मोबाईल सेवा के माध्यम से संचालित किया जायेगा। सम्बन्धित द्वारा आश्वस्त कराया गया कि स्कीम के अनुमोदन प्राप्त होते ही उनके द्वारा कार्यालय में मोबाईल कनैक्शन स्थापित कर दिया जायेगा।

4— **आवेदक के पास कम से कम 5 मोटरसाईकिल होनी चाहिए।** इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्कीम हेतु अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बन्धित द्वारा वाहनों का क्रय कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपने आवेदन में वाहन क्रय हेतु सम्बन्धित वाहन निर्माता फर्मों से प्राप्त कोटेशन को दिखाया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मोटर साईकिल किराया (स्कीम) योजना, 1997 को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31—10—2011 के मद संख्या—1 के क्रमांक 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश किये गये हैः—

प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित को सुनने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को किराये पर देने के लिए बनायी गयी किराया योजना (स्कीम), 1997 में दी गयी शर्तों एवं श्री गुरविन्दर सिंह सेठी तथा अन्य के तर्कों पर गम्भीरता से विचार—विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो नियमावली में दी गयी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा श्री निशान्त यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव, निवासी सी—2, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, 60 टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, देहराखास, देहरादून को मोटरसाईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत लाईसेन्स निर्गत करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

(3) श्री शालीन गोयल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, माल व्यू शॉप, गांधी चौक, मसूरी, जिला देहरादून द्वारा मोटर साईकिल किराया योजना (स्कीम) के तहत दोपहिया वाहनों हेतु लाईसेन्स निर्गत करने का अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र के साथ टेलीफोन का बिल, चरित्र प्रमाण पत्र, मोटर साईकिल के कोटेशन एवं 1000 रू0 रसीद संलग्न की गई है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात इस कार्यालय के पत्र संख्या—967/एसटीए/दस—75/2016 दिनांक 17—03—2016 के माध्यम से सहायक सम्भागीय

परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून से आवेदन पत्र का परीक्षण करते हुए विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1329/टी0आर0/मो0सा0कि0यो0/ निरी0/2016 दिनांक 02–04–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक द्वारा उप जिलाधिकारी, मसूरी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक का चरित्र अच्छा है तथा यह पाया गया कि आवेदक को परिवहन व्यापार का पर्याप्त ज्ञान है।

2– **यानों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष** के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 2–3/3 लैण्ढौर बाजार, मसूरी, देहरादून से उनके होटल मोनार्क, गांधी चौक, मसूरी से किराये पर भवन लिया गया है। भवन में एक स्वागत कक्ष, जिसमें बैठने के लिए सोफे लगाये गये हैं। स्वागत कक्ष में पूछताछ काउण्डर बनाया गया है। वाहनों की पार्किंग एवं सफाई के लिए 25×12 फीट की जगह है, जिसमें वाहनों की पार्किंग व मरम्मत एवं सफाई के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टॉयलेट एवं बाथरूम भी उपलब्ध है। भवन का किरायानामा एवं भवन के स्वामित्व के प्रमाण हेतु भवन के पानी के बिल की प्रति दी गई है। भवन स्वामी के पहचान के रूप में ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति दी गई है।

3– **आवेदक के पास कम से कम एक टेलीफोन हो जो दिन रात उपलब्ध हो।** इस सम्बन्ध में यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि उनके पास मोबाईल फोन नम्बर–9761600200 है। किराया अनुबन्ध के अनुसार होटल का टेलीफोन नम्बर–2630303 को प्रयोग में लाया जायेगा। टेलीफोन बिल की प्रति दी गयी है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अपनी माता श्रीमती विमल गोयल के नाम से लगाया गया फोन नम्बर–2633555 भी इस हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। टेलीफोन बिल की प्रति दी गयी है।

4– आवेदक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, मसूरी का 13241.00 का सावधि जमा पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि दिनांक 05–05–2015 को जारी है। प्रति संलग्न की गई है।

5— **आवेदक के पास कम से कम 5 मोटरसाईकिल होनी चाहिए।** इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्कीम हेतु अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बन्धित द्वारा वाहनों का क्रय कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपने आवेदन में वाहन क्रय हेतु सम्बन्धित वाहन निर्माता फर्मों से प्राप्त कोटेशन दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मोटर साईकिल किराया (स्कीम) योजना, 1997 को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 31—10—2011 के मद संख्या—1 के क्रमांक 16 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश किये गये हैः—

प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित को सुनने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मोटर साईकिलों को किराये पर देने के लिए बनायी गयी किराया योजना (स्कीम), 1997 में दी गयी शर्तों एवं श्री गुरविन्दर सिंह सेठी तथा अन्य के तर्कों पर गम्भीरता से विचार—विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी उक्त योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थियों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तो नियमावली में दी गयी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्रों को प्राधिकरण की नियमित बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा श्री शालीन गोयल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, माल व्यू शॉप, गांधी चौक, मसूरी, जिला देहरादून को मोटरसाईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत लाईसेन्स निर्गत करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या—08

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या—354/प्रवर्तन/86 दिनांक 29—01—2015 एवं पत्र संख्या—862/प्रवर्तन/धारा 86/2015 दिनांक 24—03—2015 पर परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–354/प्रवर्तन/86 दिनांक 29–01–2015 एवं पत्र संख्या–862/प्रवर्तन/धारा 86/2015 दिनांक 24–03–2015 के माध्यम से वाहन संख्या–यूके07टीए–8505, यूके07टीए–5743, यूके07टीए–9070, यूके07टीए–7844 का चालान ओला (OLA) नाम की कम्पनी में संचालित पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के तहत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में रेडियो टैक्सी योजना लागू नहीं है, जिसके दृष्टिगत परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा कार्यालय के पत्र संख्या–271/दस–106/एसटीए/2015 दिनांक 20–01–2015 के माध्यम से उक्त कम्पनी मे संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुक्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा उपरोक्त वाहनों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है।

मैसर्स ओला द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष एक रिट याचिका संख्या–506/2015 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 19–03–2015 को अन्तिम आदेश पारित करते हुए, याचिका को स्वीकार किया गया है एवं परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश दिनांक 20–01–2015 एवं 28–01–2015 को निरस्त किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण पर परिवहन आयुक्त महोदय से दिनांक 16–04–2015 को वार्ता हुई एवं वाहन स्वामी श्री सत्यपाल यादव परिवहन आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा अपने वाहन के प्रपत्रों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में वापस करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा वाहन के प्रपत्र बिना प्रशमन शुल्क वापस करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में वाहन स्वामियों को उनके वाहनों के प्रपत्र, जो प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कब्जे में लिए गए थे, उन्हें मूल रूप से वापस किए गये हैं।

प्राधिकरण प्रकरण पर पारित आदेशों का अनुमोदन करना चाहें।

मद संख्या–09

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–278/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/15 दिनांक 23–12–2015, पत्र संख्या–2661/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/15 दिनांक 02–12–2015, पत्र संख्या–298/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/16 दिनांक 29–01–2016 के द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में विचार व आदेश

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–278/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/15 दिनांक 23–12–2015, पत्र संख्या–2661/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/15 दिनांक 02–12–2015, पत्र संख्या–298/म0प्र0/संचा0/मार्ग परमिट/दे0दून/16 दिनांक 29–01–2016 के माध्यम से अर्न्तराज्यीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट **'क'** में वर्णित है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–70 के अधीन आवेदन दिये गये है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर परमिट जारी करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 (1) (5) (6) में निम्न व्यवस्था हैः–

"Section 88- Validation of permits for use outside region in which granted- (1) Except as may be otherwise prescribed, a permit granted by the Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region, unless the permit has been countersigned by the Regional Transport Authority of that other region, and a permit granted in any one State shall not be valid in any other State unless countersigned by the State Transport Authority of that other State or by the Regional Transport Authority concerned;

Provided that a goods carriage permit, granted by the Regional Transport Authority of any one region, for any area in any other region or regions within the same State shall be valid in that area without the counter signature of the Regional Transport Authority of the other region or of each of the other regions concerned;

Provided further that where both the starting point and the terminal point of a route are situate within the same State, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometres, the permit shall be valid in the other State in respect of that part of the route which is in that other

State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State;

Provided also that-

(a) where a motor vehicle covered by a permit granted in one State is to be used for the purposes of defence in any other State, such vehicle shall display a certificate, in such form, and issued by such Authority, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, to the effect that the vehicle shall be used for the period specified therein exclusively for the purposes of defence; and

(b) any such permit shall be valid in that other State notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of that other State."

(5) Every proposal to enter into an agreement between the States to fix the number of permits which is proposed to be granted or countersigned in respect of each route or area; shall be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in regional language circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement together with a notice of the date before which representations in connection therewith may be submitted, and the date not being less than thirty days from the date of publication in the Official Gazette, on which, and the authority by which, and the time and place at which, the proposal and any representation received in connection therewith will be considered.

(6) Every agreement arrived at between the States shall, in so far as it relates to the grant of countersignature of permits, be published by each of the State Governments concerned in the Official Gazette and in any one or more of the newspapers in the regional language circulating in the area or route covered by the agreement and the State Transport Authority of the State and the Regional Transport Authority concerned shall give effect to it."

उत्तराखण्ड राज्य का राजस्थान राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब के मध्य पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न हो चुका है। शेष राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू–कश्मीर और दिल्ली, चंडीगढ (यू0टी0) के मध्य पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न नहीं हो पाया है।

यह भी अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 27–12–2012 के मद/संकल्प संख्या–9 के द्वारा 105 परमिट एवं परिचालन के माध्यम से दिनांक 17–10–2013 के द्वारा 127 परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्वीकृत किये गये है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार व आदेश पारित करना चाहें।

मद संख्या–10

राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों से आच्छादित व्यवसायिक वाहनों के ओवरलोडिंग/ओवरस्पीडिंग में दो या दो से अधिक बार प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किये गये चालान, जो वर्तमान में अनिस्तारित हैं, के परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार व आदेश पारित करना

इस सम्बन्ध में अवगत् कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15–07–2003 के संकल्प संख्या–15 में आदेश पारित किए गये थे कि **''ओवरलोडिंग के प्रथम अपराध को प्रशमित किया जाय तथा द्वितीय एवं तृतीय अपराध में क्रमशः परमिट एवं लाईसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।''** प्राधिकरण के उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दो या दो से अधिक बार ओवरलोडिंग के अभियोगों में किये गये चालान, परमिटों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 की कार्यवाही हेतु सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रेषित् किये गये हैं।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

X X X

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहॉ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में दिए गये प्राविधानानुसार प्रदेश के प्रवर्तन अधिकारियों, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग से परमिट के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही की संस्तुति के आधार पर मामले प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

(1) श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी उदियार, पो0 जारती, बागेश्वर के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–7285/एसटीए/मैक्सी/यूके/12 जारी किया गया है, जो दिनांक 13–03–2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके02टीए–0710 मॉडल 2011 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बागेश्वर द्वारा दिनांक 24–11–2013 को चैक किया गया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 24–11–2013

(1) शराब पीकर चालक द्वारा गाड़ी चलाना।

(2) ड्राईवर के पास डीएल नहीं। खतरनाक चालन। नियम नहीं मानना। परमिट शर्तों का उल्लंघन करना।

(3) गाड़ी में 11 सवारी अन्दर बैठी है व 06 सवारी छत के ऊपर बैठी है।

उक्त चालान के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर द्वारा अपने पत्र दिनांक 25–11–2013 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चालक गोकुल सिंह खाती का जिला चिकित्सालय, बागेश्वर में मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब का सेवन किये जाने की

पुष्टि हुई है, जिसके फलस्वरूप कोतवाली, बागेश्वर में अपराध संख्या–2290/2013 धारा–3/181/192/184/185/179(1)/192ए एम0बी0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा वाहन के परमिट को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1746/एसटीए/मैक्सी/12 दिनांक 29–05–2015 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह, निवासी शिवपुर, नियर रेशम फार्म, कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8895/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 जारी किया गया है, जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 24–04–2018 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके12टीबी–1073 माडल 2013 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा दिनांक 19–03–2014 एवं प्रशासनिक अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा 10–04–2014 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 19–03–2014

(1) शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है। व्यवसायिक वाहन का संचालन किया जा रहा है।
(2) 09 के सापेक्ष कुल 10 सवारी बैठी पाई गयी।

2– चालान दिनांक 10–04–2014

(1) डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया गया।
(2) चालक कक्ष में 02 अतिरिक्त सवारी पायी गयी।
(3) वैध आरसी प्रस्तुत नहीं की।
(4) 09 के सापेक्ष 12 सवारी ले जाते पाये गये।
(5) वाहन चलाते समय म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करते पाये गये।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–1752/एसटीए/मैक्सी/12 दिनांक 29–05–2015 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(3) श्री खीम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, निवासी जोशी गांव, जिला बागेश्वर के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–3384/एसटीए/मैक्सी/यूके/07 जारी किया गया है, जो दिनांक 10–12–2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूए02–2212 मॉडल 2006 संचालित है। पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर ने अपने पत्र दिनांक 09–07–2014 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सिपाही देशराज सिंह व होमगार्ड मोहनराम रात्रिकालीन गश्त से वापस आ रहे थे। भराड़ी रोड़ पर वाहन मैक्स संख्या–यूए02–2212 के चालक श्री दीपक सिंह कोरंगा द्वारा कर्मचारियों की मोटरसाईकिल में पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे दोनों कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गये। वाहन का चालक बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन चला रहा था। इनके विरूद्ध धारा–279/337/338/427 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा अप्रशिक्षित व्यक्ति को वाहन चलाने को दिये जाने के फलस्वरूप उक्त घटना घटित हुई है। अतः वाहन के परमिट को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(4) श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ललिता प्रसाद, निवासी c/o हर्षमणी 1/125, इन्द्रा नगर कालोनी, देहरादून के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8979/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 जारी किया गया है, जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 15–05–2018 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके07एस–9127 मॉडल 2007 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा दिनांक 24–04–2015 व दिनांक 08–07–2015 को चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 24–04–2015

(1) 10 के सापेक्ष 13 सवारी बैठी पाई गयी।
(2) डीएल प्रस्तुत नहीं किया गया।
2– चालान दिनांक 08–07–2015
(1) 02 सवारी ओवरलोड पायी गयी।
(2) डीएल पुनः प्रस्तुत नहीं किया।

उपरोक्त चालानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिटधारक को कार्यालय के पत्र संख्या–620/एसटीए/मैक्सी/2015 दिनांक 25–02–2016 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(5) श्री विशाल दीप शर्मा पुत्र श्री अमर दीप शर्मा, निवासी म0–269, मालगोदाम रोड़ पूर्वी, कोटद्वार के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8937/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 जारी किया गया है, जो समस्त उत्तराखण्ड के मार्गो हेतु दिनांक 03–05–2018 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके12टीबी–1082 माडल 2013 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान परिवहन कर अधिकारी–2, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा दिनांक 29–05–2015, दिनांक 01–07–2015 व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार द्वारा दिनांक 26–07–2015 को चैक किया तथा चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 29–05–2015
(1) पीयूसीसी वैध नहीं।
2– चालान दिनांक 01–07–2015
(1) वैध डीएल/पीयूसीसी प्रस्तुत नहीं किया।
(2) किराया तालिका अस्पष्ट अंकित है।
3– चालान दिनांक 26–07–2015
(1) मंजिली गाड़ी की तरह वाहन पर पौड़ी–कोटद्वार का बोर्ड लगा है, जबकि वाहन कान्ट्रैक्ट कैरेज है।

(2) चालान पीबी नं0–262518 दिनांक 29–05–2015 व 254842 दिनांक 01–07–2015 का संज्ञान नहीं ले रहे है।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिट धारक को कार्यालय के पत्र संख्या–4331/एसटीए/मैक्सी/2015 दिनांक 29–12–2015 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(6) श्री दीवान सिंह गौनी पुत्र श्री उमेद सिंह गौनी, निवासी अनरियाकोट, बगवाड़, अल्मोड़ा के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–3162/एसटीए/मैक्सी/यूए/07 जारी किया गया है, जो दिनांक 03–12–2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यके01–7488 मॉडल 2007 संचालित है। जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा ने अपने पत्र दिनांक 26–03–2014 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 04–12–2013 अल्मोड़ा–लमगड़ा मोटरमार्ग में स्थान टकोलीबैण्ड के समीप वाहन संख्या–यूके01–7488 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 08 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से चालक की मृत्यु हो गई तथा अन्य 07 व्यक्ति घायल हो गये। मजिस्ट्रीयल जांच आख्यानुसार वाहन दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की असावधानी, लापरवाही एवं वाहन की गति तेज होना माना गया है। तत्कालीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा दुर्घटना में उल्लिखित कारणों के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के तहत कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है। इस कार्यालय के पत्र संख्या–3312/एसटीए/2015 दिनांक 21–09–2015 के द्वारा वाहन स्वामी से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई, जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा अपने पत्र दिनांक 10–10–2015 के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वाहन दुर्घटना में चालक श्री राजेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी है। स्व0 राजेन्द्र सिंह के पास सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा से जारी वैध चालन अनुज्ञप्ति थी और स्व0 राजेन्द्र सिंह पिछले 06 वर्षों से वाहन चला रहे थे। उनका चालन बेदाग था तथा वह यातायात नियमों का पालन करते हुए ही वाहन का चालन करते थे। इसके अतिरिक्त लापरवाही की बात यदि चालक जीवित होता तो वही बता

सकता था। इस दुर्घटना में वाहन स्वामी की कोई गलती नहीं है। मेरे द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा जारी वैध चालन अनुज्ञप्तिधारक को अपने वाहन का चालक रखा था। दुर्घटना के समय मेरे वाहन की पूर्ण फिटनेस थी तथा दस्तावेज भी पूर्ण रूप से वैध थे। अतः इनके द्वारा नोटिस को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(7) कु0 पार्वती बिष्ट पुत्री श्री श्याम सिंह बिष्ट, निवासी दमुवाढुंगा, जवाहर ज्योति, हल्द्वानी, नैनीताल के नाम समस्त भारतवर्ष का टैक्सी कैब परमिट संख्या–10943/एसटीए/टैक्सी/एआई/10 जारी किया गया है, जो समस्त भारतवर्ष के मार्गो हेतु दिनांक 19–11–2015 तक वैध था। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके04टीए–2483 मॉडल 2010 संचालित है। उक्त वाहन को मार्ग चैकिंग के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 21–06–2011 एवं परिवहन कर अधिकारी–1, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 01–09–2012 को चैकिंग के दौरान निम्न अभियोगों में चालान किया गया :–

1– चालान दिनांक 21–06–2011
(1) डीएल नहीं दिखाया।
(2) आईसी नहीं दिखाई।
(3) किराया सूची प्रदर्शित नहीं।
2– चालान दिनांक 01–09–2012
(1) फार्म–47 समाप्त– 19–11–2011
(2) पीयूसीसी नही।
(3) डीएल पर्वतीय मार्गों का पृष्ठांकन नही।

उपरोक्त चालानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु परमिटधारक को कार्यालय के पत्र संख्या–108/एसटीए/टैक्सी/2012 दिनांक 10–01–2012 व पत्र संख्या–3237/एसटीए/टैक्सी/2013 दिनांक 07–06–2013 को पंजीकृत डाक से धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में परमिट धारक से आतिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(8) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कल्याण राम, निवासी ग्राम–खेला, देवलखेत, जिला पिथौरागढ़ के नाम समस्त भारतवर्ष का मैक्सी कैब परमिट संख्या–9491/एसटीए/मैक्सी/एआई/10 जारी किया गया है, जो दिनांक 02–12–2018 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके04टीए–5539 मॉडल 2010 संचालित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–554/टी.आर/17/ए.सी.सी/14–15/यूके04टीए–5539/2016 दिनांक 19–02–2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त वाहन दिनांक 20–05–2014 को भिक्यासैंण–विनायक मोटर मार्ग स्थान इण्डा के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 03 व्यक्तियों की मृत्यु, 01 गम्भीर घायल एवं 08 व्यक्ति सामान्य घायल हुए। जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा से प्राप्त मजिस्ट्रीयल जांच आख्यानुसार वाहन ओवरलोडिंग होने पर संचालन किया जा रहा था। अतः इनके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के तहत कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(9) श्री शहनवाज खान पुत्र श्री छोटे खान, निवासी ग्राम–वनभुलपुरा, वार्ड नं–18, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के नाम समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–11942/एसटीए/मैक्सी/यूके/15 जारी किया गया है, जो दिनांक 11–12–2016 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूके04टीए–3999 मॉडल 2011 संचालित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2423/टी.आर/89/ए.सी.सी/14–15/यूके04टीए–3999/2015 दिनांक 22–07–2015 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त वाहन दिनांक 01–03–2015 को हल्द्वानी–पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 01 व्यक्ति गम्भीर घायल एवं 07 व्यक्ति सामान्य घायल हुए। जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा से प्राप्त मजिस्ट्रीयल जांच आख्यानुसार वाहन का संचालन रात्रि में किया जा रहा था। अतः इनके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के तहत कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(10) श्री श्याम वैला पुत्र श्री गोपाल दत्त वैला, निवासी लक्ष्मी होटल, रामनगर, नैनीताल के नाम रामनगर–बद्रीनाथ एवं सम्बन्धित मार्ग हेतु स्टेज कैरिज परमिट संख्या–26/एसटीए/एससी जारी किया गया है, जो दिनांक 03–12–2017 तक वैध है। इस परमिट पर वाहन संख्या–यूपी25जी–9081 मॉडल 2002 संचालित है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–445/प्रवर्तन/2015 दिनांक 26–08–2015 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 06–06–2015 को बी0डी0सी0 की बैठक में सम्मिलित होने हेतु मौलेखाला जाते समय रापड़ के पास बस संख्या–यूपी25जी–9081 के चालक द्वारा जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन स्वामी/चालक द्वारा वाहन की मरम्मत कराये जाने का आश्वासन दिया गया था, जिस कारण उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, परन्तु काफी समय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी वाहन स्वामी/चालक द्वारा क्षतिग्रस्त राजकीय वाहन की मरम्मत हेतु कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त वाहन चालक/स्वामी के विरूद्ध खतरनाक संचालन के अन्तर्गत कठोर प्रवर्तन कार्यवाही हेतु संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में वाहन स्वामी श्री श्याम वैला को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा पत्र दिनांक 27–07–2015 के माध्यम से अविलम्ब क्षतिग्रस्त राजकीय वाहन की मरम्मत कराने हेतु उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु वाहन स्वामी द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इनके द्वारा जिलाधिकारी के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए वाहन के परमिट व चालक के डी0एल0 के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

<u>अन्य मद</u>

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

अन्य मद

1— श्री दीपक जैन का प्रकरण।

श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक संचालन, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पत्र संख्या—1227/एचक्यू/संचालन/13 दिनांक 22—10—2013 के माध्यम से निजी वाहन संचालकों को अधिसूचित मार्ग पर परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20—08—2013 की कार्यवाही के सम्बन्ध में तालिका के बिन्दु—9 में निम्न टिप्पणी करते हुए अस्थाई परमिटों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है:—

मद/संकल्प संख्या—7(1) हरिद्वार—रोहतक मार्ग पर जारी अस्थाई परमिट 1—श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल 2—श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी0एल0 डोभाल 3—श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव 4—श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री नर सिंह 5—श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह **मद/संकल्प संख्या—7(2) देहरादून से नैनीताल वाया नजीबाबाद—धामपुर—हल्द्वानी मार्ग जारी अस्थाई परमिट** 1—श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह 2—श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी0एल0 डोभाल 3—श्री सचिन कुमार 4—श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल 5—श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव	**दो—दो मार्गों पर एक ही व्यक्ति को अर्थात् 04 व्यक्तियों को 02 परमिट अलग—अलग मार्ग के देकर कुल 08 परमिट दिये गये, जो कि काफी बड़ा भ्रष्टाचार/लेन—देन होना प्रकट करता है।**

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है–

(1) मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका संख्या–183/2013 श्री अमित डोभाल व अन्य बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण व अन्य एवं याचिका संख्या–184/2013 श्री भीम सिंह व अन्य बनाम सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में आवेदकों के प्रत्यावेदनों को राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 20–08–2013 को मद/संकल्प संख्या–7(1) एवं (2) में विचारार्थ प्रस्तुत किये गये थे। प्राधिकरण द्वारा प्रत्यावेदकों एवं आपत्तिकर्ता उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार, महाप्रबन्धक संचालन को सुनने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित आवेदकों को अस्थाई परमिट स्वीकृत किये गयेः–

हरिद्वार–रोहतक मार्ग

1–श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल
2–श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी0एल0 डोभाल
3–श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव
4–श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री नर सिंह
5–श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह

देहरादून से नैनीताल वाया नजीबाबाद–धामपुर–हल्द्वानी

1–श्री भीम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह
2–श्री अमित डोभाल पुत्र श्री बी0एल0 डोभाल
3–श्री सचिन कुमार
4–श्री रामकुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल
5–श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव

(2) उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20–08–2013 के विरूद्ध उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–2483/एमएस/2013 उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–2485/एमएस/2013 उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर की गई है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–

Heard. List on 31/10/2013 in case the permitts are issued the same shall be subject to finallity of writ petition.

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण एक अर्द्ध न्यायिक निकाय (Quasi Judicial body) है। प्राधिकरण के आदेशों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–89 में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील किये जाने की व्यवस्था है।

(4) प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03–03–2015 के अन्य मद/संकल्प संख्या–12(1) में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक (संचालन) अनुपस्थित पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर निर्णय पारित करना चाहें।

2– उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ के प्रत्यावेदन दिनांक 18–11–2015

उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–2014 के मद संख्या–06 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव, जिसमें वाहनों द्वारा विलम्ब से परमिट आवेदन करने पर शास्ति निर्धारण करने हेतु प्रेषित् किया गया और प्राधिकरण द्वारा शास्ति का निर्धारण किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में जानकारी होने पर उक्त प्रस्ताव एवं आदेश देखने से ज्ञात हुआ है कि उक्त आदेश एवं प्रस्ताव मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैः–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–70 से 80 तक के प्राविधान भिन्न–भिन्न प्रकार के परमिट आवेदन करने एवं स्वीकृत करने के प्राविधान दिये गये है, किन्तु किसी भी प्राविधान में परमिट स्वीकृत करने एवं आवेदन करने के सम्बन्ध में शास्ति हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–192 (ए) में बिना परमिट वाहन संचालन पाये जाने पर 5000 रूपये शास्ति आरोपण की व्यवस्था है।

(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 में व्यवस्था है कि यदि किसी अपराध के प्रशमन शुल्क की व्यवस्था न हो तो इस धारा के अन्तर्गत 100 रू0 तक शास्ति आरोपण की व्यवस्था की गई है।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (एक) में यह व्यवस्था है कि परमिट आवेदन कभी भी दिया जा सकेगा, इसलिए विलम्ब अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विलम्ब के लिए प्रत्येक आवेदक की सुनवाई प्राकृतिक न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी प्राधिकरण अथवा कोर्ट को नहीं है। ऐसी व्यवस्था समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है।

(5) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (दो) में व्यवस्था है कि परमिट आवेदन पत्र साधारणतया अस्वीकृत नहीं किये जायेंगे, अर्थात् उदार नीति के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेंगे।

(6) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–79 (7) में व्यवस्था है कि परमिट में कोई शर्त लगाने से पूर्व एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जिसका प्राधिकरण, सचिव द्वारा पालन नहीं किया गया है।

(7) राज्य सरकार द्वारा वर्ष–2011 में परिवहन नियमावली प्रभावी की गई है, जिसके अनुसार भी परमिट उदार नीति से स्वीकृत/जारी करने के निर्देश दिये गये है तथा प्राधिकरणों को भी किसी नियम के अन्तर्गत ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

अतः इनके द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन रोकने हेतु एवं सभी प्राधिकरणों को एकरूपता प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण से निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है–

(1) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–2014 के मद/संकल्प संख्या–6 के अन्तर्गत भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिए प्रशमन शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः–

पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात् 07 दिन तक	निःशुल्क
07 दिन के पश्चात् हल्की भार वाहन मध्यम भार वाहन भारी माल वाहन	 500 रू0 प्रति माह 1000 रू0 प्रति माह 2000 रू0 प्रति माह

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा भार वाहन हेतु परमिट जारी नहीं किये जाते है, किन्तु प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 20–08–2013 के मद/संकल्प संख्या–4 के अन्तर्गत समस्त व्यवसायिक वाहनों के परमिट विलम्ब से नवीनीकरण का आवेदन करने पर निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई हैः–

क्र0 सं0	अवधि	प्रशमन शुल्क
1	01 माह तक	छूट
2	01 माह के पश्चात् 03 माह तक	रू0 1000/–
3	03 माह से 06 माह तक	रू0 2500/–
4	06 माह से 01 वर्ष तक	रू0 5000/–
5	01 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	

(3) इस सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य प्राधिकरण यथा–पौड़ी, हल्द्वानी व अल्मोड़ा से भार वाहनों के लिए पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब से आवेदन करने पर नीति निर्धारित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–421/एसटीए/दस–82/2016 दिनांक 05–02–2016 के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, जिसके क्रम में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–201/सं0प0प्र0/2015–16 दिनांक 19–02–2016 द्वारा यह

अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी की बैठक दिनांक 28–06–2008 के मद संख्या–15 पर विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों को 06 माह तक रू0 2500.00 प्रशमन शुल्क एवं 06 माह से 01 वर्ष हेतु रू0 5000.00 प्रशमन शुल्क एवं 01 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर परमिट जारी न करने का निर्णय लिया गया है।

(4) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2514/परमिट/5–3–विविध/2015–16 दिनांक 04–03–2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है।

प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

(सुनीता सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

2– उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ के प्रत्यावेदन दिनांक 18–11–2015

उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–2014 के मद संख्या–06 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव, जिसमें वाहनों द्वारा विलम्ब से परमिट आवेदन करने पर शास्ति निर्धारण करने हेतु प्रेषित् किया गया और प्राधिकरण द्वारा शास्ति का निर्धारण किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में जानकारी होने पर उक्त प्रस्ताव एवं आदेश देखने से ज्ञात हुआ है कि उक्त आदेश एवं प्रस्ताव मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के विपरीत है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया हैः–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–70 से 80 तक के प्राविधान भिन्न–भिन्न प्रकार के परमिट आवेदन करने एवं स्वीकृत करने के प्राविधान दिये गये है, किन्तु किसी भी प्राविधान में परमिट स्वीकृत करने एवं आवेदन करने के सम्बन्ध में शास्ति हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–192 (ए) में बिना परमिट वाहन संचालन पाये जाने पर 5000 रूपये शास्ति आरोपण की व्यवस्था है।

(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177 में व्यवस्था है कि यदि किसी अपराध के प्रशमन शुल्क की व्यवस्था न हो तो इस धारा के अन्तर्गत 100 रू0 तक शास्ति आरोपण की व्यवस्था की गई है।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (एक) में यह व्यवस्था है कि परमिट आवेदन कभी भी दिया जा सकेगा, इसलिए विलम्ब अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विलम्ब के लिए प्रत्येक आवेदक की सुनवाई प्राकृतिक न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी प्राधिकरण अथवा कोर्ट को नहीं है। ऐसी व्यवस्था समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है।

(5) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–80 (दो) में व्यवस्था है कि परमिट आवेदन पत्र साधारणतया अस्वीकृत नहीं किये जायेंगे, अर्थात् उदार नीति के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेंगे।

(6) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–79 (7) में व्यवस्था है कि परमिट में कोई शर्त लगाने से पूर्व एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जिसका प्राधिकरण, सचिव द्वारा पालन नहीं किया गया है।

(7) राज्य सरकार द्वारा वर्ष–2011 में परिवहन नियमावली प्रभावी की गई है, जिसके अनुसार भी परमिट उदार नीति से स्वीकृत/जारी करने के निर्देश दिये गये है तथा प्राधिकरणों को भी किसी नियम के अन्तर्गत ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

अतः इनके द्वारा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन रोकने हेतु एवं सभी प्राधिकरणों को एकरूपता प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण से निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है–

(1) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–2014 के मद/संकल्प संख्या–6 के अन्तर्गत भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिए प्रशमन शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः–

पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात् 07 दिन तक	निःशुल्क
07 दिन के पश्चात्	
हल्की भार वाहन	500 रू0 प्रति माह
मध्यम भार वाहन	1000 रू0 प्रति माह
भारी माल वाहन	2000 रू0 प्रति माह

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा भार वाहन हेतु परमिट जारी नहीं किये जाते है, किन्तु प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 20–08–2013 के मद/संकल्प संख्या–4 के अन्तर्गत समस्त व्यवसायिक वाहनों के परमिट विलम्ब से नवीनीकरण का आवेदन करने पर निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई हैः–

क्र0 सं0	अवधि	प्रशमन शुल्क

1	01 माह तक	छूट
2	01 माह के पश्चात् 03 माह तक	रू0 1000/–
3	03 माह से 06 माह तक	रू0 2500/–
4	06 माह से 01 वर्ष तक	रू0 5000/–
5	01 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	

(3) इस सम्बन्ध में प्रदेश के अन्य प्राधिकरण यथा–पौड़ी, हल्द्वानी व अल्मोड़ा से भार वाहनों के लिए पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात् विलम्ब से आवेदन करने पर नीति निर्धारित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–421/एसटीए/दस–82/2016 दिनांक 05–02–2016 के माध्यम से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, जिसके क्रम में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–201/सं0प0प्र0/2015–16 दिनांक 19–02–2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी की बैठक दिनांक 28–06–2008 के मद संख्या–15 पर विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों को 06 माह तक रू0 2500.00 प्रशमन शुल्क एवं 06 माह से 01 वर्ष हेतु रू0 5000.00 प्रशमन शुल्क एवं 01 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर परमिट जारी न करने का निर्णय लिया गया है।

(4) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2514/परमिट/5–3–विविध/2015–16 दिनांक 04–03–2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाले वाहनों के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है।

प्राधिकरण प्रकरण पर विचार कर आदेश पारित करना चाहें।

परमिट नवीनीकरण एवं पंजीयन के पश्चात् परमिट हेतु आवेदन में विलम्ब होने पर विभिन्न परिवहन प्राधिकरणों द्वारा आरोपित की जा रही शास्ति/प्रशमन शुल्क

(i) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 20–08–2013 के मद/संकल्प संख्या–4 के अन्तर्गत समस्त व्यवसायिक वाहनों के परमिट विलम्ब से नवीनीकरण का आवेदन करने पर निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई हैः–

क्र0 सं0	अवधि	प्रशमन शुल्क
1	01 माह तक	छूट
2	01 माह के पश्चात् 03 माह तक	रू0 1000/–
3	03 माह से 06 माह तक	रू0 2500/–
4	06 माह से 01 वर्ष तक	रू0 5000/–
5	01 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	

(ii) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–2014 के मद/संकल्प संख्या–6 के अन्तर्गत भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिए प्रशमन शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः–

पंजीकृत होने अथवा परमिट समाप्त होने के पश्चात् 07 दिन तक	निःशुल्क
07 दिन के पश्चात् हल्की भार वाहन मध्यम भार वाहन भारी माल वाहन	 500 रू0 प्रति माह 1000 रू0 प्रति माह 2000 रू0 प्रति माह

(iii) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी की बैठक दिनांक 28–06–2008 के मद संख्या–15 पर विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों को 06 माह तक रू0 2500.00 प्रशमन शुल्क एवं 06 माह से 01 वर्ष हेतु रू0 5000.00 प्रशमन शुल्क एवं 01 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर परमिट जारी न करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी/अल्मोड़ा द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 18–04–2016 की कार्यवाही

उपस्थितिः–

1–	चन्द्र सिंह नपलच्याल, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष।
2–	श्रीमती कहकशा खान, अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य।
3–	श्री सत्येन्द्र कुमार बदुला, अधिशासी अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।	सदस्य।
4–	श्रीमती सुनीता सिंह, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।	सचिव।

————————————————————

संकल्प संख्या–01

मद संख्या–01 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 03–03–2015 में पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–02

मद संख्या–02 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–**(अ)**, **(ब)**, **(स)** एवं **(द)** में उल्लिखित सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये परमिटों के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–03

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (1) में दिये गये प्राविधानानुसार परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **25–02–2015** से **31–03–2016** तक **समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिट संख्या–**256, 355, 364, 388, 395, 415, 426, 427, 432, 434, 455, **स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या**–10004, 10029, 10054, 10087, 10111, 10137, 10138, 10191, 10219, 10304, 10307, 10322, 10325, 10341, 10423, 10565, 10570, 10576, 10591, 10650, 10655, 10683, 10694, 10803, 10879, 10913, 10964, 10969, 10997, 11043, 11151, 11169, 11178, 11186, 11238, 11289, 11297, 11313, 11315, 11316, 11370, 11503, 11557, 11583, 11591, 11607, 11675, 11715, 11731, 11735, 11744, 11799, 11823, 11830, 11835, 11843, 11863, 11926, 11943, 11959, 11986, 12121, 12122, 12174, 12223, 12304, 12470, 12482, 12506, 12593, 12614, 12615, 12661, 12683, 12725, 12735, 12740, 12789, 12847, 12947, 12979, 13022, 13032,

13068, 13095, 13168, 13266, 13271, 13276, 13297, 13315, 13334, 13395, 13409, 13439, 13476, 13477, 13491, 13503, 13591, 13599, 13656, 13685, 13737, 13771, 13794, 13805, 13828, 13852, 13885, 13920, 13967, 13992, 14022, 14218, 14283, 14369, 14433, 14472, 14501, 14519, 14581, 14598, 14665, 14806, 14842, 14936, 15080, 15143, 15186, 15262, 15434, 15523, 15544, 15679, 15712, 15787, 15956, 16073, 16258, 16674, 16746, 16977, 17710, 4648, 4774, 5139, 5415, 5834, 5881, 6270, 6509, 6516, 6566, 6608, 6618, 6684, 6945, 7111, 7152, 7519, 7545, 7676, 7707, 7811, 7842, 7891, 7925, 8007, 8029, 8033, 8053, 8124, 8237, 8304, 8333, 8341, 8354, 8367, 8494, 8499, 8555, 8612, 8654, 8684, 8834, 8987, 8995, 9108, 9109, 9150, 9159, 9184, 9210, 9419, 9441, 9449, 9460, 9472, 9573, 9574, 9586, 9612, 9726, 9735, 9756, 9763, 9790, 9791, 9807, 9814, 9891, 9894, 9907, 9935, 9957, 9967, 9991, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–10153, 10249, 10275, 10669, 11105, 11517, 11534, 11684, 11767, 12014, 12396, 12680, 12946, 12996, 13284, 13314, 13319, 13347, 13744, 13772, 14043, 14181, 14278, 14287, 14327, 14342, 14440, 14504, 14571, 14769, 14916, 15004, 15057, 15825, 15941, 16063, 16684, 17917, 6478, 6696, 7893, 7930, 7934, 7996, 8426, 8658, 9040, **समस्त उत्तराखण्ड के स्थाई मोटर कैब परमिट संख्या**–2083, 2428, 2659, 2665, 2711, 2990, 3011, 4466, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–11133, 11921, 12661, 3080, 4572, 4708, 5263, 5456, 7023, 7608, 7675, 7832, 8118, 8984, 9107, 9388, 9610, 9872 एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–82 (2) के अन्तर्गत **समस्त भारतवर्ष के ठेका बस परमिट संख्या**–460, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–12847, **टैक्सी कैब परमिट संख्या**–14649, 14845, 16550, 7664, 7891, **समस्त उत्तराखण्ड के टैक्सी कैब परमिट संख्या**–1823, **मैक्सी कैब परमिट संख्या**–8753 परमिटों के हस्तान्तरण के मामलों पर पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–04 (1)

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिट संख्या–71, 72, 75, 83, 87, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141 के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के नवीनीकरण आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–04 (2)

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के परमिट संख्या–73, 76, 77, 87, 93, 96, 98, 103, 104, 108, 112, 113, 123, 230 के स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों के हस्तान्तरण आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–05

मद संख्या–05 के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ धार्मिक स्थल होने तथा इन धार्मिक स्थानों में देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामनगर–श्रीबद्रीनाथ तथा सम्बन्धित मार्ग के लिए स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त 01 प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवेदक श्री मोहित कुमार पाण्डे को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु पुकारा गया। पुकारने पर सम्बन्धित आवेदक प्राधिकरण के समक्ष अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा आवेदन के परीक्षणोपरान्त मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद में वर्णित आवेदक श्री मोहित पाण्डे पुत्र श्री महेश चन्द्र, निवासी 19, वार्ड नं0–3, वाटर कम्पाउण्ड, रामनगर को प्रश्नगत् मार्ग का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट 05 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व प्रतिबन्धों, सामान्य शर्तों एवं मार्ग की दशा, प्रदूषण एवं अनाधिकृत संचालन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट प्राप्त करने हेतु 02 माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से की जायेगी। स्वीकृत परमिट 05 वर्ष से कम पुरानी वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाय। परमिटधारक द्वारा अपने वाहन का संचालन मार्ग पर पूर्व से

संचालित वाहनों के साथ रोटेशन से किया जायेगा और उन्हीं के समान कर जमा किया जायेगा। परमिट जारी करने से पूर्व आवेदक से समय–सारिणी प्राप्त की जाय।

संकल्प संख्या–06

श्री गंगा सिंह रांगड़ के परमिट नवीनीकरण के प्रत्यावेदन को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर परमिटधारक अनुपस्थित पाये गये। प्राधिकरण द्वारा परमिटधारक के आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का अवलोकन किया गया। जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी विगत 02 वर्ष पूर्व केदारनाथ आपदा के समय रामबाड़ा में था एवं आपदा से प्रार्थी को काफी आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक नुकसान हुआ, जिस कारण प्रार्थी अपने किसी भी आवश्यक कार्य पर ध्यान नहीं रख सका। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक की उल्लिखित परिस्थितियों के दृष्टिगत् परमिट संख्या–272/एसटीए/बस/एआई/09 के नवीनीकरण में हुए विलम्ब को 10000.00 रूपये (दस हजार रूपये) प्रशमन शुल्क पर स्वीकार किया जाता है। नवीनीकरण परमिट प्राप्त करने हेतु 02 माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या–07 (1)

श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ए0के0 गुप्ता, निवासी ए–2, उग्रसेन नगर, ऋषिकेश के मोटर साईकिल किराया योजना स्कीम, 1997 के अन्तर्गत आवेदन पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक स्वयं उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण से मोटर साईकिल किराया स्कीम के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ए0के0 गुप्ता के आवेदन पत्र को परीक्षण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–936/सा0प्रशा0/मो0सा0कि0यो0/15 दिनांक 12–05–2015 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1— आवेदक के नैतिक चरित्र के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश, जनपद—देहरादून से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की है। यात्री परिवहन व्यापार के ज्ञान के क्रम में आवेदक द्वारा स्वयं का लाईसेन्स प्रस्तुत किया है।

2— आवेदक के पास यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुविधा हेतु स्थान के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा निरीक्षण के दौरान फर्म के वर्कशॉप हेतु स्थान, कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी पर यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था हेतु वर्कशॉप का निर्माण किया गया है, साथ ही आवेदक द्वारा अपनी पंजीकृत वाहनों की यांत्रिक दशा के रख—रखाव हेतु मैसर्स ऑटो गैलरी, देहरादून रोड़, ऋषिकेश का अनुबंध पत्र भी संलग्न किया है।

3— आवेदक के पास टेलीफोन संख्या 0135—2439910 लगा है।

4— वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14 व 2014—15 का आईटीआर (फॉर्म—16) तथा एस0बी0आई0 बैंक, स्वर्गाश्राम, ऋषिकेश की पासबुक की छाया प्रति संलग्न की है।

5— आवेदक के पास कम से कम 05 मोटरसाईकिल हो, के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा केवल 05 होण्डा एक्टिवा (Honda Activa) दिनांक 07—05—2015 को व्यावसायिक प्रयोग हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश में पंजीकृत करा दिये गये है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ए0के0 गुप्ता, निवासी ए—2, उग्रसेन नगर, ऋषिकेश को मोटर साईकिल किराया स्कीम, 1997 के पैरा—6 के अन्तर्गत मोटर साईकिलों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जायेगी।

(2) श्री निशान्त यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव, निवासी सी—2, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, 60 टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, देहराखास, देहरादून के मोटर साईकिल किराया योजना स्कीम, 1997 के अन्तर्गत आवेदन पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक स्वयं उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण से मोटर साईकिल किराया स्कीम के अन्तर्गत सभी

औपचारिकतायें पूर्ण कर अनुज्ञापत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत श्री निशान्त यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव के आवेदन पत्र को परीक्षण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–214/सा0प्रशा0/विविध/2016 दिनांक 13–01–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक द्वारा उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक का चरित्र अच्छा है तथा अभिलेखानुसार सजायफता दर्ज नहीं है।

2– यानों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि जिस कार्यालय परिसर का प्रयोग किया जायेगा वह अभी निर्माणाधीन है और उक्त योजना के अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

3– आवेदक के पास कम से कम एक टेलीफोन हो जो दिन रात उपलब्ध हो, इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त योजना को 24 घंटे की मोबाईल सेवा के माध्यम से संचालित किया जायेगा। सम्बन्धित द्वारा आश्वस्त कराया गया कि स्कीम के अनुमोदन प्राप्त होते ही उनके द्वारा कार्यालय में मोबाईल कनैक्शन स्थापित कर दिया जायेगा।

4– आवेदक के पास कम से कम 5 मोटरसाईकिल होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्कीम हेतु अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बन्धित द्वारा वाहनों का क्रय कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपने आवेदन में वाहन क्रय हेतु सम्बन्धित वाहन निर्माता फर्मों से प्राप्त कोटेशन को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री निशान्त यादव पुत्र श्री अरविन्द कुमार यादव, निवासी सी–2, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, 60 टी0एच0डी0सी0 कॉलोनी, देहराखास, देहरादून को मोटर साईकिल किराया स्कीम, 1997 के पैरा–6 के अन्तर्गत मोटर

साईकिलों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जायेगी।

(3) श्री शालीन गोयल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, माल व्यू शॉप, गांधी चौक, मसूरी, जिला देहरादून के मोटर साईकिल किराया योजना स्कीम, 1997 के अन्तर्गत आवेदन पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक स्वयं उपस्थित हुये, उनके द्वारा प्राधिकरण से मोटर साईकिल किराया स्कीम के अन्तर्गत सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर अनुज्ञापत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उक्त योजना के अन्तर्गत श्री शालीन गोयल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोयल के आवेदन पत्र को परीक्षण हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1329/टी0आर0/मो0सा0कि0यो0/निरी0/2016 दिनांक 02–04–2016 के माध्यम से निम्नलिखित आख्या प्रेषित की गईः–

1– आवेदक द्वारा उप जिलाधिकारी, मसूरी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक का चरित्र अच्छा है तथा यह पाया गया कि आवेदक को परिवहन व्यापार का पर्याप्त ज्ञान है।

2– यानों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष के सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा श्री नीरज गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 2–3/3 लैण्ढौर बाजार, मसूरी, देहरादून से उनके होटल मोनार्क, गांधी चौक, मसूरी से किराये पर भवन लिया गया है। भवन में एक स्वागत कक्ष, जिसमें बैठने के लिए सोफे लगाये गये हैं। स्वागत कक्ष में पूछताछ काउण्डर बनाया गया है। वाहनों की पार्किंग एवं सफाई के लिए 25×12 फीट की जगह है, जिसमें वाहनों की पार्किंग व मरम्मत एवं सफाई के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टॉयलेट एवं बाथरूम भी उपलब्ध है। भवन का किरायानामा एवं भवन के स्वामित्व के प्रमाण हेतु भवन के पानी के बिल की प्रति दी गई है। भवन स्वामी के पहचान के रूप में ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति दी गई है।

3— आवेदक के पास कम से कम एक टेलीफोन हो जो दिन रात उपलब्ध हो। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उनके पास मोबाईल फोन नम्बर—9761600200 है। किराया अनुबन्ध के अनुसार होटल का टेलीफोन नम्बर—2630303 को प्रयोग में लाया जायेगा। टेलीफोन बिल की प्रति दी गयी है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अपनी माता श्रीमती विमल गोयल के नाम से लगाया गया फोन नम्बर—2633555 भी इस हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। टेलीफोन बिल की प्रति दी गयी है।

4— आवेदक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, मसूरी का 13241.00 का सावधि जमा पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि दिनांक 05—05—2015 को जारी है। प्रति संलग्न की गई है।

5— आवेदक के पास कम से कम 5 मोटरसाईकिल होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्कीम हेतु अनुमोदन प्राप्त होते ही सम्बन्धित द्वारा वाहनों का क्रय कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपने आवेदन में वाहन क्रय हेतु सम्बन्धित वाहन निर्माता फर्मों से प्राप्त कोटेशन दिये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री शालीन गोयल पुत्र श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, माल व्यू शॉप, गांधी चौक, मसूरी, जिला देहरादून को मोटर साईकिल किराया स्कीम, 1997 के पैरा—6 के अन्तर्गत मोटर साईकिलों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जायेगी।

संकल्प संख्या—08

मद संख्या—08 के अन्तर्गत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या—354/प्रवर्तन/86 दिनांक 29—01—2015 एवं पत्र संख्या—862/प्रवर्तन/धारा 86/2015 दिनांक 24—03—2015 के द्वारा प्रेषित् यूके07टीए—8505, यूके07टीए—5743,

यूके07टीए–9070, यूके07टीए–7844 के चालानों पर परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया है कि कतिपय कम्पनियों, यथा–मैसर्स ओला (OLA) द्वारा Cab Booking Through mobile Application के माध्यम से टैक्सी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु इन कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के संचालन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं से अप्रिय घटनायें हो चुकी है। इस स्थिति में इन कम्पनियों के कार्यों को विनियमित व नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। उत्तराखण्ड राज्य में अभी तक रेडियो टैक्सी योजना या इण्टरनेट/मोबाईल के माध्यम से टैक्सी कैब बुकिंग की योजना लागू नहीं की गयी है। इस हेतु यह आवश्यक है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत परमिटधारकों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि वे ऐसी कम्पनियों, जो कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कार्य कर रही हो, के अन्तर्गत अपनी वाहनों का संचालन न करें।

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण पर विचार किया गया और सम्यक् विचारोपरान्त मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा–2 (xiii) में विहित शक्तियों के अधीन समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के टैक्सी/मैक्सी कैब परमिटों पर यह प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय लिया जाता है कि ''वे ऐसी कम्पनियों, जो कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कार्य कर रही हो, के अन्तर्गत अपनी वाहनों का संचालन न करें।''

अतः सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शर्त अधिरोपित करने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 की उपधारा–2 (ix) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 की उपधारा–4 के अधीन विहित शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड प्रदेश के समस्त सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों को यह निर्देश प्रदान करती है कि उपरोक्त शर्त को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी टैक्सी कैब/मैक्सी कैब परमिटों पर अधिरोपित करें।

संकल्प संख्या–09

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्जीय मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

पुकराने पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ओर से श्री मुकेश सिंह, उप महाप्रबन्धक (संचालन) उपस्थित हुये उनके द्वारा प्राधिकरण को यह अवगत कराया गया है कि *''उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा दिनांक 09–11–2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश के समय से ही बसों का संचालन किया जा रहा है, इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम अन्तर्राज्जीय मार्गों पर बिना परमिट के वाहनों का संचालन करना पड़ रहा है, जिससे वाहनों के दुर्घटना होने पर वाहनों को अवमुक्त कराने में परेशानी हो रही है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम का दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू राज्यों से पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न नहीं हुआ है, उन राज्यों में निगम को सम्बन्धित राज्य से प्रतिहस्ताक्षर करने की शर्त पर परमिट स्वीकार किया जाय।''*

इसका विरोध करते हुए निजी प्रचालकों के प्रतिनिधि श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पास परमिट नहीं है और बिना पारस्परिक परिवहन करार के उत्तराखण्ड परिवहन निगम को अन्तर्राज्जीय मार्गों पर परमिट स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा आवेदित मार्गों पर परमिट प्राप्त करने हेतु जो आवेदन किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में कतिपय औपचारिकतायें/सूचनायें नहीं दी गयी है। प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि यदि उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में प्रभावी परिवहन करार के अनुसार अन्तर्राज्जीय मार्गों एवं पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समय की प्रभावी अधिसूचनाओं में निर्धारित ट्रिप्स के अनुसार आवेदन किया जाता है तो उन्हें पारस्परिक परिवहन करार एवं अधिसूचना में निर्धारित ट्रिप्सों के अनुसार परमिट जारी किये जाय। इस हेतु निगम से पारस्परिक परिवहन करार की प्रति एवं अधिसूचनाओं की प्रति भी प्राप्त की जाय।

संकल्प संख्या–10

मद संख्या–10 के क्रमांक–1 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–7285/एसटीए/ मैक्सी/यूके/12, जिस पर वाहन संख्या–यूके02टीए–0710, मॉडल–2011 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह, निवासी उदियार, पो0 जारती, बागेश्वर को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1746/एसटीए/मैक्सी/12 दिनांक 29–05–2015 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। इसके पश्चात भी परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, बागेश्वर द्वारा किये गये चालान एवं पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के पत्र दिनांक 25–11–2013 पर विचार किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब का सेवन किये जाने की पुष्टि हुई है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि वाहन चालक द्वारा शराब के सेवन किये हुए वाहन का संचालन किये जाने में वाहन स्वामी की संलिप्तता पाये जाने पर वाहन संख्या–यूके07टीए–0710 के परमिट संख्या–7285/एसटीए/मैक्सी/यूके/12 को निरस्त किया जाता है।

2– मद संख्या–10 के क्रमांक–2 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8895/एसटीए/ मैक्सी/यूके/13, जिस पर वाहन संख्या–यूके12टीबी–1073, मॉडल–2013 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह, निवासी शिवपुर, नियर रेशम फार्म, जिला पौड़ी गढ़वाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या–1752/एसटीए/मैक्सी/12 दिनांक 29–05–2015 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। पुकारने पर परमिटधारक उपस्थित हुए। इनके द्वारा प्राधिकरण से सम्बन्धित अपराध का प्रशमन शुल्क लेकर क्षमा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढ़ोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लघंन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए वाहन संख्या–यूके17टीबी–1073 के परमिट संख्या–8895/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 को निरस्त किया जाता है।

3– मद संख्या–10 के क्रमांक–3 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–3384/एसटीए/ मैक्सी/यूके/07, जिस पर वाहन संख्या–यूए02–2212, मॉडल–2006 संचालित है। प्राधिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर के पत्र दिनांक 09–07–2014 का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत किया गया है कि चालक के विरूद्ध धारा–279/337/338/427 भा0द0वि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। पुकारने पर परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है एवं मा0 न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश प्राप्त नहीं हुए है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया जाता है।

4– मद संख्या–10 के क्रमांक–4 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8979/एसटीए/ मैक्सी/यूके/13, जिस पर वाहन संख्या–यूके07एस–9127, मॉडल–2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ललिता प्रसाद, निवासी c/o हर्षमणी, 1/125, इन्द्रा नगर कॉलोनी, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र संख्या–620/एसटीए/मैक्सी/2015 दिनांक 25–02–2016 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की

गयी थी। इसके पश्चात भी परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), पौड़ी द्वारा किये गये चालानों पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढ़ोये जाने की बार–बार पुनरावृत्ति करने एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के अभियोगों में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट संख्या–8979/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 के धारक से चालानों का प्रशमन शुल्क 8000.00 रू0 निर्धारित किया जाता है। प्रशमन की धनराशि जमा न करने पर परमिट जमा करने की तिथि से 06 माह तक परमिट को निलम्बित रखा जाय।

5– मद संख्या–10 के क्रमांक–5 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या–8937/एसटीए/ मैक्सी/यूके/13, जिस पर वाहन संख्या–यूके12टीबी–1082, मॉडल–2013 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक श्री विशाल दीप शर्मा पुत्र श्री अमर दीप शर्मा, निवासी म0–269, मालगोदाम रोड़ पूर्वी, कोटद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या–4331/एसटीए/मैक्सी/2015 दिनांक 29–12–2015 द्वारा धारा–86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। पुकारने पर परमिटधारक उपस्थित हुए। उनके द्वारा चालानों का प्रशमन शुल्क जमा करते हुए क्षमा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण द्वारा परिवहन कर अधिकारी–2, पौड़ी व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), कोटद्वार द्वारा किये गये चालानों पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन स्वामी द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ–साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता को दृष्टिगत् रखते हुए परमिट संख्या–8937/एसटीए/मैक्सी/यूके/13 के धारक पर चालानों का प्रशमन शुल्क 9000.00 रू0 निर्धारित किया जाता है। प्रशमन की धनराशि जमा न करने पर परमिट जमा करने की तिथि से 06 माह तक परमिट को निलम्बित रखा जाय।

6— मद संख्या—10 के क्रमांक—6 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या—3162/एसटीए/ मैक्सी/यूए/07, जिस पर वाहन संख्या—यूके01—7488, मॉडल—2007 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक श्री दीवान सिंह गौनी पुत्र श्री उमेद सिंह गौनी, निवासी अनरियाकोट, बगवाड़, अल्मोड़ा को इस कार्यालय के पत्र संख्या—3312/एसटीए/2015 दिनांक 21—09—2015 द्वारा धारा—86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दुर्घटना में वाहन चालक की मृत्यु होने से वाहन स्वामी को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में अपने वाहन पर कुशल एवं दक्ष चालक को ही सेवायोजित करें।

7— मद संख्या—10 के क्रमांक—7 में वर्णित समस्त भारतवर्ष का टैक्सी कैब परमिट संख्या—10943/एसटीए/ टैक्सी/एआई/10, जिस पर वाहन संख्या—यूके04टीए—2483, मॉडल—2010 संचालित है, के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में परमिटधारक कु0 पार्वती बिष्ट पुत्री श्री श्याम सिंह बिष्ट, निवासी दमुवाढुंगा, जवाहर ज्योति, हल्द्वानी, नैनीताल को इस कार्यालय के पत्र संख्या—108/एसटीए/टैक्सी/2012 दिनांक 10—01—2012 व पत्र संख्या—3237/एसटीए/टैक्सी/2013 दिनांक 07—06—2013 द्वारा धारा—86 का नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में परमिटधारक से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। इसके पश्चात भी परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा व परिवहन कर अधिकारी—1, अल्मोड़ा द्वारा किये गये चालानों पर विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन स्वामी से उल्लिखित चालानों में निर्धारित प्रशमन शुल्क 11000.00 रू0 प्राप्त करें। यदि वाहन स्वामी द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क अदा नहीं किया जाता है तो वाहन के परमिट को जमा करने की तिथि से 06 माह तक निलम्बित रखा जाय।

8— मद संख्या—10 के क्रमांक—8 में वर्णित समस्त भारतवर्ष का मैक्सी कैब परमिट संख्या—9491/एसटीए/ मैक्सी/एआई/10, जिस पर वाहन संख्या—यूके04टीए—5539, मॉडल—2010 संचालित है। परमिटधारक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया। वाहन दिनांक 20—05—2014 को दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके फलस्वरूप 03 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 01 व्यक्ति गम्भीर घायल एवं 08 व्यक्ति सामान्य घायल हुए। मजिस्ट्रीयल जांच आख्या के अनुसार वाहन ओवरलोडिंग पर संचालित पाया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहन में स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी ढ़ोये जाने एवं परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के अभियोगों में वाहन चालक के साथ—साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता के दृष्टिगत् परमिट संख्या—9491/एसटीए/ मैक्सी/एआई/10 को निरस्त किया जाता है।

9— मद संख्या—10 के क्रमांक—9 में वर्णित समस्त उत्तराखण्ड का मैक्सी कैब परमिट संख्या—11942/एसटीए/ मैक्सी/यूके/15, जिस पर वाहन संख्या—यूके04टीए—3999, मॉडल—2011 संचालित है। परमिटधारक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया। वाहन दिनांक 01—03—2015 को दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके फलस्वरूप 01 व्यक्ति गम्भीर घायल एवं 07 व्यक्ति सामान्य घायल हुए। मजिस्ट्रीयल जांच आख्या के अनुसार वाहन का संचालन रात्रि में किया जा रहा था। पर्वतीय मार्गों पर वाहन का रात्रि में संचालन करने में रोक है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परमिटधारक द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के अभियोग में वाहन चालक के साथ—साथ वाहन स्वामी की संलिप्तता के दृष्टिगत् परमिट संख्या—11942/एसटीए/मैक्सी/यूके/15 को निरस्त किया जाता है।

10– मद संख्या–10 के क्रमांक–10 में वर्णित स्टेज कैरिज परमिट संख्या–26/एसटीए/एससी, जिस पर वाहन संख्या–यूपी05जी–9081, मॉडल–2002 संचालित है। परमिटधारक के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक से पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रश्नगत प्रकरण पर पैरवी हेतु उपस्थित होने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। परमिटधारक उपस्थित नहीं हुए। प्राधिकरण द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बस संख्या–यूपी25जी–9081 के चालक द्वारा जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के वाहन को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा वाहन स्वामी को क्षतिग्रस्त राजकीय वाहन की मरम्मत कराने हेतु उपस्थित होकर पक्ष प्रेषित करने का नोटिस प्रेषित किया गया था, किन्तु वाहन स्वामी द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त परमिटधारक व जिला विकास अधिकारी, अल्मोड़ा को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

<u>अन्य मद/संकल्प संख्या–11 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित प्रकरणों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गयाः–</u>

1– अन्य मद/संकल्प संख्या–1 के अन्तर्गत श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा पुकारा गया। पुकारने पर श्री दीपक जैन अनुपस्थित पाये गये। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक जैन से कार्यालय के गोपनीय पत्र संख्या–4780/एसटीए/दस–39/2013 दिनांक 27–11–2013 के द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसके क्रम में श्री दीपक जैन द्वारा अपने पत्र संख्या–1296/एचक्यू/संचालन–11/2013 दिनांक 03–12–2013 के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ''अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी के विरूद्ध तिरस्कारपूर्ण कथन एवं मिथ्यारोप/आपेक्ष लगाने की कोई भावना नहीं थी तथा उद्देश्य मात्र अनुरोध कर निगम का पक्ष रखने का था।

उक्त अनुरोध पत्र में त्रुटिवश अप्रिय शब्दों का अंकित होने के लिए अधोहस्ताक्षरी को खेद है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न हो इसका ध्यान रखा जायेगा।'' इस विषय में पूछताछ करने के लिए श्री दीपक जैन को उपस्थित होने की अपेक्षा की गई, किन्तु श्री जैन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। श्री दीपक जैन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने के दृष्टिगत इस प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

2— अन्य मद/संकल्प संख्या—2 के अन्तर्गत उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ के प्रत्यावेदन दिनांक 18—11—2015 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर उत्तरांचल ट्रक ओनर्स फैडरेशन महासंघ की ओर से श्री दलजीत सिंह मान, प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10—09—2014 के मद/संकल्प संख्या—6 के अन्तर्गत भार वाहनों के विलम्ब से परमिट प्राप्त करने वाली वाहनों के लिए प्रशमन शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के विपरीत है। उनके द्वारा प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया है कि बिना परमिट वाहन संचालन पाये जाने पर 5000.00 रू0 शास्ति आरोपण की व्यवस्था है और परमिट उदार नीति से स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी/ अल्मोड़ा/हल्द्वानी द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भार वाहनों के लिए विलम्ब से परमिट प्राप्त करने हेतु राज्य में एक समान नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा/पौड़ी सदस्य होंगे। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

3— अन्य मद/संकल्प संख्या—3 के अन्तर्गत श्री अशोक मेहता पुत्र श्री सोहन सिंह मेहता, निवासी कैन्तूरा प्लाजा, बद्रीनाथ रोड़, ऋषिकेश के मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर श्री

अशोक मेहता उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक के मोटर साईकिल किराया स्कीम के अन्तर्गत प्रत्यावेदन पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा जांच आख्या प्रेषित की गई है। आवेदक मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं और उन्हें लाईसेन्स स्वीकार किया जाय। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि आवेदक के नैतिक चरित्र के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था के सम्बन्ध में मैसर्स महामन्ता ऑटो सर्विस, लक्ष्मणझूला रोड़, खारासूत मुनीकीरेती के साथ अनुबन्ध किया गया है। दूरभाष संख्या–0135–2442266 के बिल की प्रति दी गयी है। वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 का फॉर्म–16 की प्रति प्रस्तुत की गयी है। मोटर साईकिलों के सम्बन्ध में कोटेशन संलग्न किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक श्री अशोक मेहता पुत्र श्री सोहन सिंह मेहता, निवासी कैन्तूरा प्लाजा, बद्रीनाथ रोड़, ऋषिकेश को मोटर साईकिल किराया स्कीम, 1997 के पैरा–6 के अन्तर्गत मोटर साईकिलों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जायेगी।

4– अन्य मद/संकल्प संख्या–4 के अन्तर्गत मैसर्स एम0आर0 तलन U/C विदयोतमा तलन, निवासी कुड़ियाला, पट्टी दोगी, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल के मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर विचार किया गया। पुकारा गया। पुकारने पर आवेदक के प्रतिनिधि श्री गुरविन्दर सिंह सेठी उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक के मोटर साईकिल किराया स्कीम के अन्तर्गत प्रत्यावेदन पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा जांच आख्या प्रेषित की गई है। आवेदक मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं और उन्हें लाईसेन्स स्वीकार किया जाय। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि आवेदक के नैतिक चरित्र के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा

जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। यानों की मरम्मत एवं स्वच्छता व्यवस्था एवं स्वागत कक्ष की सुविधा है। दूरभाष संख्या–01378–262977 संयोजित है। वित्तीय साधन के प्रमाण में आवेदक द्वारा वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। मोटर साईकिलों के पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवेदक मैसर्स एम0आर0 तलन U/C विदयोतमा तलन, निवासी कुड़ियाला, पट्टी दोगी, तहसील नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल को मोटर साईकिल किराया स्कीम, 1997 के पैरा–6 के अन्तर्गत मोटर साईकिलों को किराये पर चलाने हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को दो माह का समय प्रदान किया जाता है। समय की गणना स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि से की जायेगी।

5– अन्य मद/संकल्प संख्या–5 के अन्तर्गत देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग यूनियन के सचिव द्वारा दिनांक 16–04–2016 को एक प्रत्यावेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा विकासनगर से शाकुम्बरी देवी मन्दिर तक 25 वापसी सेवायें स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। पुकारा गया। पुकारने पर यूनियन की ओर से श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राज्य गठन से पूर्व सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा शाकुम्बरी देवी तक 01 वापसी सेवा स्वीकृत की गई थी, जिसके आधार पर वाहनों का संचालन किया जा रहा था। वर्तमान में मार्ग पर 81 वैध परमिट से आच्छादित वाहनों का संचालन हो रहा है, जिससे 01 वाहन 80वें दिन मात्र 108 कि0मी0 की दूरी तय करेगी, जबकि कर त्रैमासिक जमा करना पड़ रहा है। इनके द्वारा 25 वापसी सेवाओं को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत् प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत् प्रकरण को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25–05–2012 के संकल्प संख्या–16 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्नगत् मार्ग अन्तर्राज्जीय मार्ग है। इस मार्ग का तिमली से शाकुम्बरी देवी तक का मार्ग भाग उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 की उपधारा–1 व 6 के अधीन दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक परिवहन करार सम्पन्न नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्तमान में शाकुम्बरी देवी तक कोई परमिट जारी नहीं

किये गये हैं, जिसके दृष्टिगत् अन्तर्राज्जीय मार्ग शाकुम्बरी देवी तक समय सारिणी निर्धारित की जानी सम्भव नहीं है। अतः उक्त मद को आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग पर समय सारिणी निर्धारित करने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून से आख्या प्राप्त की जाय। तत्पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कहकशा खान)
सदस्य

(सत्येन्द्र कुमार बदुला)
सदस्य

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
अध्यक्ष